राजस्थान सरकार
राजस्व (भू.प्र.-6) विभाग

177

प्रेषिति:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलेक्टर
3. निबन्धक राजस्व मंडल

क्रमांक:- टी0 6(42)राज-6/2001/18 जयपुर, दिनांक: 10-5-

विषय:- कृषि प्रयोजन हेतु उपलब्ध भूमि के आवंटन/नियमन किए जाने सम्बन्धी कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

यह देखने में आया है कि कृषि हेतु आवंटन एवं नियमन योग्य राजकीय सिवायचक भूमि काफी अधिक मात्रा में अभी भी विभिन्न जिलों में उपलब्ध है । ऐसी भूमि के आवंटन एवं नियमन हेतु जिला स्तर पर नियमित रूप से आवंटन कार्यक्रम नहीं बनाए जाते हैं ।

राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में भूमि आवंटन के प्रावधान दिए हुए हैं । ऐसा महसूस किया गया है कि आवंटन योग्य भूमि का विवरण तैयार कर नियमों में दिए प्रावधानों के अन्तर्गत उद्घोषणा समय पर जारी नहीं की जा रही तथा नियमों के अन्तर्गत की जाने वाली आवंटन सलाहकार समिति की बैठकें भी समय पर आयोजित नहीं की जा रही हैं ।

इस सबका परिणाम यह हो रहा है कि जहाँ एक ओर राज्य सरकार के परिपत्रों के अन्तर्गत नियमित होने वाले अतिक्रमण का नियमन नहीं हो पाता है, वहीं दूसरी ओर इन अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही करने के बजाय इन पर पेनल्टी आरोपित की जाकर मामले को लम्बित करते रहते हैं एवं राजस्व अधिकारियों का कार्य भी अनावश्यक रूप से बढ़ता रहता है । अतिक्रमणाधीन नियमन होने योग्य भूमि के अतिरिक्त भी काफी भूमि आवंटन से शेष रहती है है, जिसका आवंटन भी समय पर नहीं किया जाता है । अत: इस सम्बन्ध में भू-आवंटन/नियमितिकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. भूमि आवंटन/नियमन कार्यक्रम नियमित रूप से जिलों में अधिकारियों के द्वारा सम्पन्न न किए जाकर केवल मात्र राज्य सरकार के स्तर से आयोजित किये जाने वाले राजस्व अभियान/समस्या समाधान शिविरों का ही इन्तजार करते रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप नियमित रूप से भूमि का आवंटन/नियमितिकरण नहीं हो पाता है । अत: जिला कलेक्टर/उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वे नियमित रूप से बिना किसी अभियान की घोषणा का इंतजार किए आवंटन

...2/

आवंटन का कार्यक्रम पूरे वर्ष निर्धारित करें। जैसाकि आपको जानकारी में है राज्य सरकार के निर्देशानुसार दि0 2 अक्टूबर 2001 से 31 दिसम्बर 2001 तक की अवधि में "प्रशासन गांव के संग" अभियान सम्पन्न होगा जिसमें पंचायत समिति स्तर पर राजस्व एवं अन्य विभागों से संबंधित कार्य सम्पन्न किए जायेंगे। इन इन शिविरों में अन्य कार्यों के साथ-साथ भूमि आवंटन/नियमितिकरण का कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सकता है। अतः आप पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होने वाले शिविरों में सप्ताह में 1 या 2 दिन केवल भूमि आवंटन/नियमितिकरण हेतु निश्चित करें एवं तद्नुसार ही आवंटन सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जावे।

2. आवंटन/नियमितिकरण की सफलता के लिए आवश्यक है कि नियमों में दिए गए प्रावधान के अन्तर्गत आवंटन योग्य भूमि की सूची नियमों के अन्तर्गत सही रूप से बनाई जाए, इसकी जांच की जाए एवं सभी संबंधित कार्यालय/स्थानों पर इस सूची को नियमों में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रकाशित किया जाए।

राजकीय परिपत्र क्रमांक प0 6(7)राज-4/77 दि0 14.7.77 में गैर मुमकिन मगरा एवं पहाड़ भूमि को नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटित किए जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। अतः ऐसी भूमि जो अभिलेख में गैर मुमकिन दर्ज है एवं अकृषि योग्य दर्ज है किन्तु मौके पर काश्त के उपयोग में आ रही है तो ऐसी भूमि को भी आवंटन योग्य भूमि की सूची में सम्मिलित कराया जा सकता है। ऐसी भूमियों के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने हेतु संबंधित आवंटन अधिकारी सलाहकार समिति की अभिशंषा के पश्चात् जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे जिन्हें जिला कलेक्टर अपनी अभिशंषा सहित राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति के उपरांत ही ऐसी भूमियों का आवंटन/नियमितिकरण किया जा सकेगा।

3. नियमों के अन्तर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार भू-आवंटन हेतु आवेदन-पत्रों के संबंध में उद्घोषणा समय पर जारी की जाए एवं आवंटन सलाहकार समिति की बैठक समय पर नियमित रूप से आयोजित की जाए।

4. आवंटन सलाहकार समिति की बैठकें बुलाने हेतु कम से कम 10 दिवस पूर्व समिति के सदस्य प्रतिनिधिगण एवं अन्य सदस्यों को बैठक की तिथि की सूचना पहुंचने की सुनिश्चितता की जाए।

5. नियमन योग्य अतिक्रमणों के संबंध में ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर इनकी पत्रावलियां ग्रामवार तैयार कर ली जाए एवं उन्हें आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निर्णीत कराने की कार्यवाही की जाए।

6. आवंटन सलाहकार समिति की बैठक भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 13 के उप नियम 4 के अन्तर्गत उसी ग्राम में आयोजित की जानी आवश्यक है जिस ग्राम में आवंटन/नियमन की जाने वाली भूमि स्थित है।

..3/

अतः जिस जगह की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना है उसी स्थान पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आहूत की जाए ।

7. जिस खसरा नं0 का आवंटन/नियमितिकरण होना है उसका पटवारी मौका मुआयना करें और यह सुनिश्चित करें कि यह पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार है या नहीं

कृषि प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व (तलाब तल भूमियों को कृषि हेतु आवंटन) नियम 1961 के अन्तर्गत भूमि आवंटन किए जाने का उत्तरदायित्व उपखंड अधिकारी का है । ये भूमि (नदी खातली-बांध पेटा) अस्थाई रूप में आवंटित की जाती है । अतः इन नियमों के अन्तर्गत किए जाने वाले आवंटन की कार्यवाही भी यथासमय निष्पादित की जाए । आमतौर पर यह देखने में आया है कि नदी/बांध पेटा अस्थायी आवंटन की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अधिकारी पुनः आवंटन कार्यवाही नहीं करते और आवंटी पर पेनल्टी लगाते रहते हैं जबकि स्वयं अधिकारी इसके दोषी होते हैं । अतः ऐसी अवस्था में आवंटी पर कोई पेनल्टी न लगाकर अधिकारी के खिलाफ कर्तव्यहीनता का दण्ड लगाया जावे ।

अतः जिला कलेक्टर गण से यह अपेक्षा है कि वे अपने जिले में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का विभिन्न नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित रूप से आवंटन/नियमन किए जाने हेतु आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करावें एवं इन बैठकों के माध्यम से भूमि आवंटन की कार्यवाही को प्रभावी एवं त्वरित रूप से सम्पन्न करावें । जिला कलेक्टरगण का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवंटन किए जाने के पश्चात् आवंटी को मौके पर भूमि का कब्जा दिलाया जाकर आवंटी के गैर खातेदारी के नामान्तकरण स्वीकृत कर जमाबंदी में आवंटी के नाम भूमि दर्ज कर दी जाए ।

भवदीय,

राजस्व सचिव